विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 30 मार्च, 2012 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 52वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की बावनवीं (52वीं) बैठक डा. राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 30 मार्च, 2012 को पूर्वाहन 10.00 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 587 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से इस समय 380 एसईजेड अधिसूचित हो गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार, एसईजेड में 2,49,630.82 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 8,15,308 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, एसईजेड से 3,15,867.85 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2009-10 के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 43.11 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक (अर्थात 31 दिसंबर, 2011 तक) कुल 2,60,972.89 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है।

मद संख्या 52.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) 14.544 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम कनाडिया, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एग्रोवेब ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 10 मार्च, 2012 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 14.544 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम कनाडिया, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एग्रोवेब ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) 14.523 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम सरजापुरम, अनेकल तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। कर्नाटक सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 21 मार्च, 2012 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने 14.523 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम सरजापुरम, अनेकल तालुक, बंगलौर

शहरी जिला, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) 39.3719 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम पल्लीपुरम एवं वेइलूर, तालुक एवं जिला तिरूवनंतपुरम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क - केरल का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। केरल सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 21 मार्च, 2012 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 39.3719 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम पल्लीपुरम एवं वेइलूर, तालुक एवं जिला तिरूवनंतपुरम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी पार्क - केरल के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) 17.7120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम अंडूरकोणम, तालुक एवं जिला तिरूवनंतपुरम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क - केरल का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। केरल सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 21 मार्च, 2012 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 17.7120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम अंडूरकोणम, तालुक एवं जिला तिरूवनंतपुरम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी पार्क - केरल के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(v) 10.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम कनाडिया, बाडियाकीमा एवं मालीखेड़ी, इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सुवी इंफार्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यद्यपि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव की सिफारिश की गई है परंतु इस समय भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। चूंकि नीति के रूप में अनुमोदन बोर्ड 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता वाले एसईजेड को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान नहीं कर रहा है इसलिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 52.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार / सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं

नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू एसईजेड अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के प्रस्तावों के साथ पट्टा विलेख / प्रारूप विलेख संलग्न होना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ विकासक एवं प्रस्तावित सह विकासक के बीच वित्तीय लेनदेन / व्यवस्था का ब्यौरा होना चाहिए। प्रस्तावों पर निर्णय निम्नानुसार हैं :

(i) प्लॉट संख्या टीजेड-06, टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अर्थ आइकानिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा विकासक को पट्टा पर भूमि प्रदान की गई थी और यह कि उनको प्रस्तावित सह विकासक करार के ब्यौरों के बारे में सूचित किया जाए। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा विकासक को निदेश दिया कि वे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को प्रस्तावित प्रारूप पट्टा करार की प्रति प्रस्तुत करें, जो विकास आयुक्त के माध्यम से अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं।"

(ii) मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में प्रसंस्करण क्षेत्र में 140 एकड़ के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अनुरोध को इस तथ्य के अधीन मंजूरी प्रदान की कि अनुमोदन में सह विकासक करार में उल्लिखित किसी अधिकृत प्रचालन का अनुमोदन शामिल नहीं है जिसके लिए विकासक अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर सकता है।

(iii) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स किंग्स कैनन इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग ने किए जा रहे पट्टा करार की प्रकृति पर आपत्ति की जिसमें पट्टा किराया के एकबारगी भुगतान के लिए प्रावधान है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 52.3 : पांचवें एवं छठें साल के बाद यूनिटों के औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i)) ग्राम मुसलगांव तथा गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2012 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 24 जून, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) गुड़गांव, हरियाणा में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 अगस्त, 2012 के बाद (6वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स ओरिएंट क्राफ्ट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व हरियाणा सरकार से रिपोर्ट प्राप्त करने का निदेश दिया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(iii) इच्छापुर, सूरत, गुजरात में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 अप्रैल, 2012 के बाद (6वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात हीरा बुर्स का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने [6]अप्रैल, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 52.4 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम वनजोरे, तिरुपट्टिनम कम्यून, कराइकल जिला, पांडिचेरी में 243.506 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स कराइकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने [26] फरवरी, 2013 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 52.5 : तीन से पांच साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 31 मई, 2012 के बाद (तीसरे साल के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स रामदेव केमिकल इंडस्ट्रीज जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 31 मार्च, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 31 मार्च, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हैंगर्स प्लस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, चेन्नई की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 31 मार्च, 2013 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 52.6 : बड़ोदरा, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में निर्माण की गतिविधियों के दौरान अस्थायी द्वितीय गेट के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 दिसंबर 2012 तक या निर्माण कार्य के पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, अस्थायी फाटक के प्रचालन के लिए मंजूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि निर्माण की गतिविधि समाप्त होते ही अस्थायी फाटक का प्रचालन बंद हो जाएगा।

मद संख्या 52.7 : गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड में स्थित दो एसईजेड यूनिटों के विलय के लिए मैसर्स आरबीएस इंडिया डवलपमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लेने तथा पुनर्विचार करने के लिए प्रस्ताव को वापस यूनिट अनुमोदन समिति के पास भेज दिया।

मद संख्या 52.8 : एक एसईजेड से यूनिट को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स इंसपाप डाट कॉम जो मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 52.9 : सीटीएच संख्या 39 20 20 के तहत आने वाली मद अर्थात बीओपीपी फिल्म के निर्माण को शामिल करने के लिए एलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स कास्मो फिल्म लिमिटेड जो सेंद्रे, जिला औरंगाबाद में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

राजस्व विभाग ने बताया कि यद्यपि एसईजेड इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर के तहत आता है, जबकि ब्राड बैंडिंग के लिए प्रस्तावित मद प्लास्टिक सेक्टर के तहत आती है। विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि यह यूनिट द्वारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मामला है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट के अनुरोध को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त को एसईजेड की मौजूदा विनिर्माण यूनिट के संदर्भ में ब्राड बैंडिंग के लिए प्रस्तावित उत्पाद की प्रकृति एवं प्रकार पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

मद संख्या 52.10 : केएएसईजेड, गांधीधाम में ईओयू स्कीम से एसईजेड स्कीम में शिफ्ट करने के लिए अनुमति के लिए मैसर्स प्रयास वूलेन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उसके अनुरोध पर आवेदक की बात सुनी गई। बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) (ग) के अनुसार, गारमेंट या प्रयुक्त कपड़ों या गौण टेक्सटाइल सामग्री एवं अन्य रिसाइकलेबल टेक्सटाइल सामग्री की क्लिपिंग या रैग या औद्योगिक वाइपर या शॉडी वुल या यार्न या कंबल या शाल में रिप्रोसेसिंग के लिए यूनिट स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। चूंकि यह यूनिट फटे पुराने कपड़ों की री-प्रोसेसिंग का काम करती है इसलिए उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 52.11 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए कतिपय सेवाओं की मंजूरी के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स सीएमसी लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ आई / आईटीईएस एसईजेड द्वारा राजरहाट, कोलकाता में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता की बात सुनी गई। अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय की समीक्षा करने का कोई औचित्य नहीं पाया। तद्नुसार, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।

(ii) अधिकृत प्रचालनों में से एक के रूप में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी तथा परामर्श सेवा के लिए कैप्टिव प्रचालन के रूप में शैक्षिक संस्था स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध को यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अस्वीकार किए जाने के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स स्वर्णभूमि एकेडेमिक इंस्टीट्यूशन (मार्ग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्वर्णभूमि की शाखा) की अपील

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता की बात सुनी गई। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि निर्णय के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष इसे पुन: प्रस्तुत करने से पूर्व वाणिज्य विभाग फाइल पर अपील की जांच करेगा। तद्नुसार मामले को आस्थगित कर दिया गया।

(iii) निर्यात किए गए माल जो कंसाइनमेंट के आधार पर भेजा गया, के पुन: आयात के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स आम्रपाली एक्सपोर्ट्स जो सीतापुरा, जयपुर, राजस्थान में एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता की बात सुनी गई। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने आवेदक की ओर से हुए विलंब को माफ करने तथा अपील को स्वीकार करने का निर्णय लिया तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड को आयातित माल का पुन: आयात करने की अनुमति प्रदान करने का निदेश दिया जिसे पहले कंसाइनमेंट आधार पर भेजा गया था।

(iv) अधिकृत प्रचालनों के लिए कुछ इनपुट सेवाओं के अनुमोदन के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स यूपीएस लाजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता की बात सुनी गई। अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय की समीक्षा करने का कोई औचित्य नहीं पाया। तद्नुसार, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।

सारणी एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 52.12 : एसईजेड में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिटों पर प्रारूप नीति

अनुमोदन बोर्ड के निर्देशों के अनुसार वाणिजय विभाग द्वारा प्लास्टिक रि-प्रोसेसिंग यूनिटों पर तैयार की गई नीति का प्रारूप प्रतिभागियों में परिचालित किया गया। अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि इस बैठक की तारीख से 15 दिन के अंदर वाणिज्य विभाग को प्रारूप नीति पर टिप्पणियां प्रस्तुत की जाएं।

बोर्ड को सूचित किया गया कि एसईजेड में प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों की वैधता अवधि 31 मार्च, 2012 को समाप्त हो रही है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने तीन माह की अगली अवधि के लिए अर्थात 30 जून 2012 तक या नीति पर फैसला हो तक, जो भी पहले हो, ऐसी सभी यूनिटों की वैधता अवधि बढ़ाई।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

****